तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मदन सिंह यादव बनाम लोक सूचना अधिकारी (अति.संभागीय)जयपुर अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/485	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.01.2024	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी पत्रांक एफ. 19(11)(21) आरटीआई/प्रथम अपील/02273/संआज/2023/493 दिनांक 21.12.2023 प्राप्त। जिसमें उन्होनें अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 01.11.2023 इस कार्यालय में दिनांक 03.11.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त आर.टी.अई आवेदन पत्र के सम्बन्ध में ही अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के यू.ओ.नोट क्रमांक: 3034 दिनांक 12.12.2023 एवं क्रमांक 3040 दिनांक 12.12.2023 में उल्लेखित अपीलें प्रस्तुत की गई है। अर्थात एक आवेदन पत्र द्वारा अपेक्षित सूचनाओं के सम्बन्ध में दो अपीलें प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड से सम्बन्धित होने के कारण उक्त आवेदन (मय संलग्न दस्तावेज) इस कार्यालय के पत्रांक: 468–69 दिनांक 29.11.2023 के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, अलवर (द्वितीय) एवं लोक सूचना अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत प्रेषित किया जाकर प्रतिलिपि आवेदक/अपीलार्थी को भी पृष्ठांकन क्रमांक: 470 दिनांक 29.11.2023 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। अपील खारिज कराने का श्रम करावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी के आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 01.11.2023 द्वारा अपेक्षित सूचना अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर (द्वितीय) एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड से सम्बन्धित होने के कारण उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 466–69 दिनांक 29.11.2023 के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, अलवर (द्वितीय) एवं लोक सूचना अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रेषित की जाकर प्रतिलिपि आवेदन/अपीलार्थी को भी पृ टांकन क्रमांक: 470 दिनांक 29.11.2023 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (डॉ0 आरूषी मलिक) संभागीय आयुक्त जयपुर।	